कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/829 /परीक्षा समन्वय/2018 भोपाल दिनांक 27/07/2018

आदेश

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018–19 में शासन से मान्यता व मण्डल से संबद्धता प्राप्त संस्थाओं में नियमित छात्रों के प्रवेश हेतु **"प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका"** आदेश कमांक 785/प.स./2018 भोपाल, दिनांक 12.06.2018 द्वारा जारी की गई है। उक्त निर्देश पुस्तिका के बिन्दु कमांक 1.1 में प्रावधानित किया गया है कि "सत्र 2018–19 में कक्षा 10वी एवं 12वी में सीधे प्रवेश वर्ष 2017–18 में कक्षा 9वी एवं 11वी में संस्था की प्रवेशित नियमित छात्र संख्या से 10 प्रतिशत अधिक प्रवेश नही दिया जा सकेगा।"

चूंकि शासन के आदेशानुसार शैक्षणिक सत्र 2018–19 माह अप्रैल 2018 से प्रारम्भ होने के कारण अनेको संस्थाओं में नियमित छात्रों के प्रवेश भी अप्रैल माह में ही पूर्ण कर लिये गये है, चूंकि मण्डल द्वारा प्रवेश एवं मार्गदर्शिका 12 जून 2018 को प्रकाशित की गई है, जिसके कारण संस्थाओं में कक्षा 10वी एवं 12वी में 10 प्रतिशत से अधिक सीधे प्रवेश हो जाना संभावित है।

अतः छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुये प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका के बिन्दु कमांक 1.1 **"सत्र 2018–19 में कक्षा 10वी एवं 12वी में सीधे प्रवेश वर्ष 2017–18 में कक्षा 9वी एवं 11वी में संस्था की प्रवेशित नियमित छात्र संख्या से 10 प्रतिशत अधिक प्रवेश नही दिया जा सकेगा।"** संबंधी निर्देश को सत्र 2018–19 के लिये स्थगित किया जाता है तथा उक्त निर्देश सत्र 2019–20 से यथावत अन्य आदेश होने तक प्रतिवर्ष लागू रहेगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक/830/परीक्षा समन्वय/2018 भोपाल दिनांक 27/07/2018

प्रतिलिपि :–

1– विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
2– निज सचिव–अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3– निज सचिव–प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति/अनु. जाति, कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4– कमिश्नर, समस्त–राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
5– आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6– आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7– आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8– संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
9– समस्त–जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
10– समस्त–मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
11– समस्त– संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश।
12– सहायक आयुक्त, समस्त–आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
13– समस्त–जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
14– निज सचिव–सचिव/अति. सचिव/परीक्षा नियंत्रक/उपसचिव, मा0 शि0 मण्डल, मध्यप्रदेश।
15– माननीय मण्डल सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
16– पंजीयक परीक्षा/जन संपर्क अधिकारी/सी.एस.ओ./वित्ताधिकारी, मा0शि0म0 मध्यप्रदेश।
17– आंचलिक/समस्त–संभागीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
18– समस्त– सहायक सचिव/कक्षाधिकारी, विधि अधिकारी एवं लोक सूचना कक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
19– प्राचार्य, समस्त–मान्यता/संबंद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थायें, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक /819/ परीक्षा समन्वय / 2018 भोपाल दिनांक 09/07/ 2018

// आदेश //

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा शिक्षण सत्र 2018–19 में आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी एवं व्यावसायिक परीक्षाओं के आवेदन पत्र मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नियमित छात्रों के प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका पुस्तिका आदेश क्रमांक 785–86 दिनांक 22.06.2018 जारी की गई है। छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र **(नियमित / स्वाध्यायी)** केवल ऑन लाईन प्रक्रिया से दिनांक 01.07.2018 से 12.08.2018 तक सामान्य शुल्क के साथ भरे जा सकेगें।

शिक्षण सत्र 2018–19 हेतु जारी प्रवेश पुस्तिका में (बिन्दु क्रमांक–4) हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी परीक्षा नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये समान्य निर्देश के बिन्दु 4.11 में उल्लेखित "अन्य राज्य / अन्य बोर्ड के छात्रों के आवेदन–पत्र भरने के उपरान्त परीक्षा आवेदन फार्म के साथ छात्र द्वारा स्वप्रमाणित दस्तावेजों की छायाप्रति व मूलप्रति नियत तिथि में समन्वय संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा", के स्थान पर "अन्य राज्य / अन्य बोर्ड के छात्रों के आवेदन–पत्र भरने के उपरान्त परीक्षा आवेदन फार्म के साथ छात्र द्वारा स्वप्रमाणित दस्तावेजों की छायाप्रति व **माईग्रेशन की मूलप्रति** नियत तिथि में समन्वय संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा" पढ़ा जावे।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक / 820 / परीक्षा समन्वय / 2018 **भोपाल, दिनांक: 09 /07 /2018**

प्रतिलिपि :–

1– निज सचिव–अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
2– निज सहायक–प्रमुख सचिव / सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग / आदिम जाति / अनु. जाति, कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
3– कमिश्नर, समस्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
4– आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल
5– आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6– आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7– संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल
8– समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9– समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
10– संयुक्त संचालक, शिक्षा समस्त, मध्यप्रदेश।
11– सहायक आयुक्त, समस्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
12– समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
13– माननीय् मण्डल सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
14– आंचलिक अधिकारी / समस्त, संभागीय अधि. / समस्त स.स. / क.अ. परीक्षा संभाग एवं लोक सूचना कक्ष।
15– पंजीयक परीक्षा / जनसम्पर्क अधि. / विधि अधिकारी / सी.एस.ओ. / वित्ताधिकारी, मा.शि.मंडल भोपाल।
16– नि.स.– सचिव / अतिरिक्त सचिव / परीक्षा नियंत्रक / उपसचिव मा.शि.म.मंडल।
17– प्राचार्य, समस्त मान्यता प्राप्त संस्थायें, मध्यप्रदेश।
18– लोक सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल
19– विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,
भोपाल